

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/E/25/00054**Applicant Name** Navneet chauhan**Text of Application**

Sir i belong to Rainapur grant vill Ghamandpur block doiwala dehradun . my question is that there was a 30-40 year old ditch here ,which has been closed recently . i want to know on what basis it has been closed . this ditch was dug to protect the villagers from Elephants.i want to know with whose permission this ditch has been closed ,about which even the Forest Department is not aware .

Reply of Application

Please find attachment.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	17/07/2025	Nodal Officer	
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	18/07/2025	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) : (1) Sugandha Srivastava
3	SUPPORTING DOCUMENT REQUIRED FROM APPLICANT	21/07/2025	Sourav Ghosh-(scpio)	The document attached at the time of filing RTI Request is not accessible.The same document may please be uploaded to process your RTI Request.
4	SUPPORTING DOCUMENT RECEIVED FROM APPLICANT	23/07/2025	RTI Applicant	
5	REQUEST DISPOSED OF	25/07/2025	Sugandha Srivastava-(CPIO)	

Print

40 साल पुरानी खाई पाटने पर हंगामा

घमंडपुर के लोगों ने जताया आक्रोश, वन विभाग ने 40 साल पहले खोदी थी खाई

संवाद न्यूज एजेंसी

जौलीग्रांट। बड़कोट वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत रैनपुर पंचायत के घमंडपुर गांव में जंगल किनारे वन भूमि पर कुछ लोगों ने जेसीबी की मदद से करीब चालीस साल पुरानी एक किलोमीटर लंबी खाई को सड़क बनाने के लिए पाट दी। घमंडपुर के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर हंगामा काटा, जिसके बाद वन विभाग भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा।

ग्रामीणों का आरोप है कि बड़कोट वन रेंज के किनारे करीब एक किलोमीटर लंबी 40 साल पुरानी एक गहरी खाई थी, जो वनजीवी को घमंडपुर और रैनपुर में आने से रोकती थी। कुछ भूमिका द्वारा बंद जमीन के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से 40 साल पुरानी वन भूमि की करीब एक किलोमीटर लंबी खाई को पाट दिया गया है, जिसमें राजस्व और वन विभाग दोनों की मिलीभगत है। खाई पाटने के विरोध के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त सर्वे का आश्वासन देकर वापस लौट आई।

आरोप है कि जिस खाई को जेसीबी की मदद से पाट दिया गया है। उसमें दर्जनों प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ खड़े थे, जिन्हें खाई में मिट्टी डालकर दबा दिया गया है। निवर्तमान बीडीसी मानसी खत्री ने कहा कि ग्रामीणों ने विरोध के बाद वन विभाग और पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। राजपाल कृपाली ने कहा कि खाई पाटने के बाद अब वन्य जीव सीधे खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद करेंगे। मौके पर अश्वि कुमार, महेंद्र सिंह, नितिन, पुष्कर नेगी, कुंवर चौहान आदि उपस्थित रहे।

तो क्या वन विभाग ने निजी भूमि पर खोदी थी खाई : ग्रामीणों के अनुसार घमंडपुर में करीब चालीस साल पहले हाथी



खाई पाटने का विरोध करते ग्रामीण। संवाद

संयुक्त सर्वे से पहली ही पाट दी खाई

■ घमंडपुर में जिस चालीस साल पुरानी खाई को पाटा गया है, उसके एक तरफ बड़कोट वन रेंज का घना जंगल और दूसरी तरफ एक निजी भूमि है, जिस पर आम का बड़ा बगीचा खड़ा है। खाई किसकी है ये तो जवाबत सर्वे के बाद ही पता चलेगा लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो खाई वन विभाग की या बगीचे मालिक की हो सकती है लेकिन बीच में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा खाई को पाट दिया गया है।

ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। तब ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद वन विभाग ने श्रमिकों से खाई खुदवाई थी। राजस्व विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार खाई वाली जमीन किसी निजी भूमि की बताई जा रही है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि चालीस साल पहले क्या वन विभाग ने निजी भूमि पर अतिक्रमण कर खाई खोदी थी। वहीं निजी भूमि का मालिक चालीस साल तक कहां सोया हुआ था।

विरोध के बाद रोका काम

जौलीग्रांट। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर जेसीबी से मिट्टी खोदकर मार्ग किनारे भरान किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद एनएच ने काम को रोक दिया।

ग्रामीणों का कहना है कि एनएच उनके घरों के सामने से जेसीबी की मदद से खोदाई कर मिट्टी को मार्ग के किनारों पर भरने का काम कर रहा है लेकिन जेसीबी से मिट्टी के साथ ही पत्थरों को भी खोदकर मार्ग के किनारे भरा जा रहा है। बारिश होने पर मिट्टी बह जाएगी, जिसके बाद पत्थरों से दो पहिया वाहन चालकों के चोटिल होने का खतरा बढ़ जाएगा।

मौके पर पहुंचे स्थानीय सभासद राजेश भट्ट ने एनएच के कार्यों का विरोध करते

मुख्य मार्ग किनारे मिट्टी और पत्थर भरने का हुआ विरोध

हुए कहा कि लोगों के घरों के आगे खोदाई करने से लोगों को मुख्य मार्ग पर आवाजाही करने में परेशानी आएगी। मिट्टी को बरसात बाद कहीं और से उठाकर सड़क किनारे भरा जाना चाहिए।

स्थानीय विधायक डोईवाला बृजभूषण गैरोला ने मौके पर एनएच कर्मियों से फोन पर बातचीत कर स्थानीय लोगों के अनुसार काम करने को कहा। मौके पर दयाल सिंह सजवाण, मुकेश सजवाण, विक्रम सिंह, सुरेश सजवाण, अरूण सिंह, विजय सजवाण, सुरेश सिंह, पूजा सजवाण, संजना देवी आदि उपस्थित रहे। संवाद

बड़कोट वन रेंज में खाई पाटने का मामला सामने आया है। फिलहाल इस मामले में संयुक्त सर्वे होना है। यदि संयुक्त सर्वे में वन विभाग की जमीन निकलती है तो विभाग अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। - नीरज कुमार, डीएफओ देहरादून

संख्या-13-3 / 2025-आर.टी.आई-1517

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

पे0ऑ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग

देहरादून-248195

दिनांक 25 जुलाई, 2025

सेवा में,

लोक प्राधिकारी एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड,

85-राजपुर रोड़,

देहरादून-248001(उत्तराखण्ड).

Sub- Transfer of the RTI Application of Sh. Navneet Chauhan, Uttarakhand under RTI Act, 2005 Reg.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत Sh. Navneet Chauhan, Uttarakhand के आर.टी.आई. आवेदन संख्या FSOID/R/E/25/00054 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा मांगी गई जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून से संबंधित नहीं है।

चूंकि आवेदक द्वारा आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई जानकारी राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड से संबंधित है, इसलिए आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है, और अनुरोध किया जा रहा है कि उपरोक्त आवेदन के संबंध में उपलब्ध जानकारी सीधे आवेदक को इस कार्यालय को सूचना के साथ प्रदान की जाए। यदि यह आपकी मंत्रालय/विभाग से संबंधित नहीं है, तो अनुरोध किया जाता है कि इसे संबंधित प्राधिकार को अग्रेषित किया जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

सुगंधा श्रीवास्तव

(सुगंधा श्रीवास्तव)

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :-Sh. Navneet Chauhan, Village-Ghamandpur, Post office-Ranipokhari, Dehradun-248145, Uttarakhand (Mobile No.-8384835383), को इस आशय से प्रेषित कि आपके उक्त संदर्भित अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना अन्य लोक प्राधिकारी/कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण, वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु, आपका अनुरोध पत्र सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को उक्तानुसार हस्तांतरित कर दिया गया है तथा आवेदक सीधे उपरोक्त विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है।